फैक्स / तत्काल

संख्याः– 367 / 1–11–2016–7(जी) / 2016

प्रेषक,

दीपक सिंघल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– मण्डलायुक्त,
फैजाबाद, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट धाम, मुरादाबाद, देवीपाटन मण्डल, गोरखपुर, बस्ती, इलाहाबाद, आजमगढ़, वाराणसी एवं बरेली।

2– जिलाधिकारी,
बाराबंकी, लखीमपुरखीरी, सीतापुर, ललितपुर, गोण्डा, बांदा, फैजाबाद, रामपुर, बहराइच, बलरामपुर, बदायूँ, कुशीनगर, बस्ती, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, पीलीभीत, हमीरपुर, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी एवं बलिया।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनॉक :: 23 अगस्त, 2016

विषयः– बाढ़ के दौरान खोज, बचाव एवं राहत कार्य युद्धस्तर पर किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश में गंगा नदी का जल स्तर इलाहाबाद, मीरजापुर, वाराणसी तथा गाजीपुर में एवं यमुना नदी का जल स्तर बांदा व इलाहाबाद में तथा केन नदी का जल स्तर बांदा में और शारदा नदी का जल स्तर लखीमपुर खीरी में खतरे के निशान से ऊपर है। बाढ से प्रभावित कतिपय जनपदों में एन0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 भी तैनात की गयी है।

2– बाढ़ के दौरान बाढ़ में फंसे हुये व्यक्तियों / परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना तथा इस संबंध में आवश्यक खोज एवं बचाव कार्य आपदा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:–

(1) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारीगण द्वारा दौरा कर प्रभावित व्यक्तियों को बाढ़ से राहत दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) बाढ़ एवं राहत कार्य से जुड़े समस्त अधिकारियों का अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश स्वीकृत किया जाय।

(3) बाढ़ की स्थिति का निरन्तर अनुश्रवण करते हुये जनपद स्तर पर किये जा रहे राहत कार्य की सूचना प्रतिदिन राहत आयुक्त कार्यालय को प्रेषित किया जाय।

(4) बाढ़ से सम्बन्धित विभागों यथा–सिंचाई, खाद्य एवं रसद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास से समन्वय करते हुये प्रभावितों को निर्धारित मानक के अनुसार त्वरित राहत प्रदान किया जाय।

3– कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(दीपक सिंघल)
मुख्य सचिव